दूरभाष 2286709
2286710
नव चेतना केन्द, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

# राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

518/1

पत्रांक : 4397 / 05 / 76 / एक / 2016–17 दिनांक : 14 दिसम्बर 2016

सेवा में,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–वाराणसी।

विषय : **वित्तीय वर्ष 2016–17 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।**

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या–37 / 83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:–

| धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में) | | | |
|---|---|---|---|
| **बैंक का नाम** | **खाता संख्या** | **आईएफएससी कोड** | **धनराशि** |
| एचडीएफसी बैंक | 50100082677544 | IFSC Code HDFC0000468 | 244.28 |

(धनराशि लाख रू0 में)

| क्र0 सं0 | जनपद का नाम | अल्पसंख्यक / मलिन | निकाय का नाम | बस्ती / वार्ड का नाम | प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वाराणसी | **मलिन बस्ती–83 बजट** | न0नि0 वाराणसी | मोहल्ला पुलकोहना पुरानापुल पार्ट–बी में कमरूद्दीन के मकान से रामाश्रय गोंड़ के मकान तक, ओमप्रकाश सोनकर से इण्टरलाकिंग गली तक, इण्टरलाकिंग वाली गली से महेन्द्र राजभर तक, एवं ओमप्रकाश सोनकर के मकान से सफाई लाल सोनकर तक जल निकासी एवं इण्टरलाकिंग का कार्य। | 16.695 |
| 2 | वाराणसी | **मलिन बस्ती–83 बजट** | न0नि0 वाराणसी | मोहल्ला पुलकोहना पुरानापुल पार्ट–सी में चुनार से मार्ग से मुन्ना मकान तक, मुन्ना के मकान से न्यू सारनाथ रोड तक एवं सा 22 / 153 से ओमप्रकाश सोनकर के मकान तक जल निकासी एवं इण्टरलाकिंग का कार्य। | 14.814 |
| 3 | वाराणसी | **मलिन बस्ती–83 बजट** | न0नि0 वाराणसी | मोहल्ला रूप्पनपुर उर्फ पैगम्बरपुर में चकबीही टड़िया मार्ग से दीपचरन राजभर के मकान तक, दीपचरन के मकान से निकट म0नं0 सा0 20 / 21–आर0–जे0 तक, म0नं0 सा0 20 / 21–आर0–जे0 तक, म0नं0 सा0 20 / 21 आर–जे से के पास तक, म0नं0 सा0 20 / 23–आर से चौका पत्थर तक, म0नं0 सा 2 / 23–आर से केदार यादव के मकान तक, केदार यादव के मकान से बन्द गली तक, म0नं0 सा 20 / 21–एच–1सी से सा 20 / 21–एन–1 सी तक, सा0 20 / 22एच–सी के पास, सा 20 / 22–एच–1सी से सा 20 / 21–जी–2 तक, सा 20 / 21–जी के पास, केदार यादव के मकान वाली गली, केदार के मकान से सा 20 / 21–आर–एस तक, सा 20 / 21–आर–एस से पत्थर चौका गली तक, सा 20 / 22–ए–1 वाली गली, उमाशंकर के मकान से चौका तक, केदार मौर्या भवन के बगल गली, केदार नाथ का मकान के पश्चिम गली एवं खन्झाटी के मकान से सा 20 / 21–एन–1–सी तक जल निकासी एवं इण्टरलाकिंग का कार्य। | 17.580 |

518/2

दूरभाष- 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

# राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

| क्र0 सं0 | जनपद का नाम | अल्पसंख्यक / मलिन | निकाय का नाम | बस्ती / वार्ड का नाम | प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | वाराणसी | मलिन बस्ती-83 बजट | न0नि0 वाराणसी | मोहल्ला नईबस्ती हुकुलगंज में मटरू सोनकर के मकान से राजेन्द्र सोनकर के मकान तक, संतोष सोनकर के मकान से नत्थू सोनकर के मकान तक, नन्हकू सोनकर के मकान से एस0 10/244 तक, नत्थू सोनकर से बुद्धू सोनकर के मकान तक, बुद्धू के मकान से रामकिशुन मौर्या के मकान तक, रामकिशुन मौर्या के पास, सुनील के मकान से किशुन कुशवाहा के मकान तक, रामनरायन के मकान से सुनील के मकान तक, चौका गली से एस0 9/34 सी0 तक, सनील के मकान से नाला तक, सुनील के मकान से रतन के मकान तक, रतन के मकान के पास एवं किशुन मौर्या के मकान से किशुन कुशवाहा के मकान तक जल निकासी एवं इण्टरलाकिंग का कार्य। | 9.684 |
| 5 | वाराणसी | मलिन बस्ती-83 बजट | न0नि0 वाराणसी | मोहल्ला लहरतारा पसियाना मलिन बस्ती में जी0टी0 रोड से चौरा माता मंदिर तक, भोला सरोज से कुमारी देवी तक, बड़ेलाल सरोज से कुँआ तक, कुँआ के पास, कुँआ से रविलाल सरोज तक, रविलाल सरोज से सेचन विश्वकर्मा तक एवं सेचन विश्वकर्मा से कमलेश तक जल निकासी एवं इण्टरलाकिंग का कार्य। | 14.031 |
| 6 | वाराणसी | मलिन बस्ती-83 बजट | न0नि0 वाराणसी | मोहल्ला लहरतारा फुलवरिया रोड में डी0 65/342-13 से डी0 65/342-सी-ए-1 तक, डी0 65/342-सी-ए-1 से विरेन्द्र पासी के मकान तक, डी0 65/342-13 से रामगोविन्द के मकान तक एवं संतोष के मकान से डी0 65/342-ए-के तक जल निकासी एवं इण्टरलाकिंग का कार्य। | 4.698 |
| 7 | वाराणसी | मलिन बस्ती-83 बजट | न0नि0 वाराणसी | मोहल्ला लहरतारा सोनकर में विवेक कुमार के मकान से प्लाट नं0 डी0 138/3 तक, प्लाट नं0 डी0 138/3 से मकान नं0 डी0 65-7-के-1 आर तक, विवेक कुमार के मकान से महेन्द्र कुमार गौतम के मकान तक, मकान नं0 डी0 65/11-5 के पास, भाऊचन्द्र सोनकर के मकान से मकान नं0 डी0 65/11-5 के आगे तक, प्रकाश के मकान तक एवं प्रकाश के मकान से शिवकुमार भारती के मकान तक जल निकासी एवं इण्टरलाकिंग का कार्य। | 11.482 |
| 8 | वाराणसी | मलिन बस्ती-83 बजट | न0नि0 वाराणसी | मोहल्ला सरानन्दन मैनवा पोखरी में एन 14/241 से स्टेट 20 मीटर तक, एन 14/241 से स्टेट 20 मीटर के बाद 15 मीटर तक, एन 14/241 से स्टेट 80 मीटर तक, एन 14/241 के पास से स्टेट 60 मीटर तक, एन 14/241 के पास 30 मीटर तक, तिराहा से स्टेट 50 मीटर तक, एन14/176 से स्टेट 20 मीटर तक, एन14/226 से स्टेट 20 मीटर तक, एन14/214 से 60 मीटर के बाद 50 मीटर तक, एन14/214 से स्टेट 60 मीटर तक, एन14/214 के पास 20 मीटर तक, एन14/214 के पास 15 मीटर तक, एन14/214 के पास 60 मीटर तक, एन14/214 के पास 30 मीटर तक, एन14/214 के पास 50 मीटर तक एवं मैनावा पोखरी के पास जल निकासी एवं इण्टरलाकिंग का कार्य। | 16.726 |

518/3

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

# राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

| क्र0 सं0 | जनपद का नाम | अल्पसंख्यक/मलिन | निकाय का नाम | बस्ती/वार्ड का नाम | प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | वाराणसी | मलिन बस्ती–83 बजट | न0नि0 वाराणसी | मोहल्ला बंधवानाला मौजा हाल में सोती राम के मकान से मोढ़ तक, मोढ़ से पार्क तक, पार्क मोढ़ से जमुना राजभर के मकान तक, जमुना राजभर के मकान से त्रिदेव मन्दिर तक, पारू सोनकर से देवराज प्रजापति के मकान तक, देवराज प्रजापति के मकान से गुलाब यादव के मकान तक एवं देवराज प्रजापति के पश्चिमी गली मे जल निकासी एवं इण्टरलाकिंग का कार्य। | 14.493 |
| 10 | वाराणसी | मलिन बस्ती–83 बजट | न0नि0 वाराणसी | मोहल्ला बंधवानाला नईबस्ती पार्ट–ए में पारस नाथ पाल के मकान से बुद्धू पाल तक, बुद्धू पाल के मकान से मेवा लाल के मकान तक, चौरा माता मन्दिर से प्रेमचन्द्र के मकान तक, नन्हे पाल के मकान से एस 9/311–1 तक, एस 9/295 से रविशंकर के मकान तक, राजेन्द्र के मकान से रामनाथ के मकान तक, रविशंकर के मकान से पारसनाथ तक, प्रेमचन्द्र के मकान से रामनाथ पाल तक एवं एस 9/311–1 से पारसनाथ पाल तक जल निकासी एवं इण्टरलाकिंग का कार्य। | 14.733 |
| 11 | वाराणसी | मलिन बस्ती–83 बजट | न0नि0 वाराणसी | मोहल्ला बंधवानाला नईबस्ती पार्ट–बी में प्रेमचन्द्र से पांचू पाल के मकान तक, रामनाथ मौर्य एस0 9/311–1 तक, एस 9/311–1 से एस 9/206–ए–2 तक, एस 9/206–ए–2 तक, एस 9/206 ए–2 से घुरेपाल के मकान तक, एस 9/298 से एस 9/318 तक, एस 9/298 से आर जे पाल के मकान तक एवं एस 9/298 से बुद्धू पाल तक जल निकासी एवं इण्टरलाकिंग का कार्य। | 17.669 |
| 12 | वाराणसी | मलिन बस्ती–83 बजट | न0नि0 वाराणसी | मोहल्ला अनौला कुबेर नगर पार्ट–ए में राजाराम सोनकर के मकान से शिवकुमारी के मकान तक, शिवकुमारी के मकान से ए 28/9–11–6 तक, ए 28/11ए से ए 28/1–बी–1 तक एवं शिवकुमारी के मकान से मोढ़ तक जल निकासी एवं इण्टरलाकिंग का कार्य। | 15.943 |
| 13 | वाराणसी | मलिन बस्ती–83 बजट | न0नि0 वाराणसी | मोहल्ला अनौला कुबेर नगर पार्ट–बी में शिवकुमारी के आगे से गोरखनाथ तक, गोरखनाथ पटेल सुरेन्द्र तक, सुरेन्द्र के मकान से एस0 28/9–ए–एक्स तक, सुरेन्द्र के बगल में, सुशीला देवी से लालजी तक, मल्लू से कुँआ तक, रमेश के मकान से अनिल के मकान तक, विद्यावती देवी के पास, अनिल से विद्यावती देवी तक, कुँआ से लालजी तक, एस0 28/9एक्स–3 से लालजी यादव तक एवं गोरखनाथ पटेल के उत्तर तरफ जल निकासी एवं इण्टरलाकिंग का कार्य। | 17.549 |
| 14 | वाराणसी | मलिन बस्ती–83 बजट | न0नि0 वाराणसी | मोहल्ला मवईया पैगम्बरपुर में विश्वनाथ यादव के मकान से नाला तक, नाला के पास से नाला के पास वाली गली मकान नं0 सा0 21/48 के पास तक, मकान नं0 सा0 21/48–एस–के चन्द्रबली के मकान तक, जवाहिर के मकान वाली गली, चन्द्रबली के मकान से मकान नं0 सा0 21/43–ए तक, मकान नं0 सा0 21/36–ए से राजपति चौहान के मकान तक, राजपति चौहान के मकान के पास, इण्टरलाकिंग मार्ग से आनन्द के मकान तक, बनारसी के मकान वाली गली, हैण्डपम्प से शकील अहमद के मकान तक, शकील अहमद के मकान से मोहम्मद शमीम के मकान तक, मो0 शमीम के मकान वाली गली एवं मो0 शमीम के मकान से मंजू के मकान तक जल निकासी एवं इण्टरलाकिंग का कार्य। | 17.523 |

(518/4)

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

# राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

| क्र0 सं0 | जनपद का नाम | अल्पसंख्यक/मलिन | निकाय का नाम | बस्ती/वार्ड का नाम | प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | वाराणसी | मलिन बस्ती–83 बजट | न0नि0 वाराणसी | मोहल्ला हवेलियागंज में सा0 10/21 से मनोज के मकान तक, मनोज के मकान से सा0 10/54 से चौका तक, चौका से सा0 10/53 तक, सा0 10/54 से सा0 10/51 तक, सा0 10/51 से मनोज के मकान तक, सा0 10/51 से सा0 10/35 तक, सा0 10/55 से सा0 10/35 तक, सा0 10/35 से सा0 10/36 तक, सा0 10/48 से सा0 10/49 तक, सा0 10/46 से रामू यादव के मकान तक, रामू यादव के मकान से पंचम यादव के मकान तक, सा0 10/36 से सा0 10/41 तक एवं सा0 10/35 से चौका तक जल निकासी एवं इण्टरलाकिंग का कार्य। | 12.901 |
| 16 | वाराणसी | मलिन बस्ती–83 बजट | न0नि0 वाराणसी | मोहल्ला सारंग तालाब मौजा हाल में जवाहिर यादव का मकान के पास, जवाहिर यादव के मकान से नरेश यादव के मकान तक, म0नं0 सा 18/132 से लल्लन राजभर तक एवं कल्लू राजभर से अवध बिहारी के मकान तक जल निकासी एवं इण्टरलाकिंग का कार्य। | 10.147 |
| 17 | वाराणसी | मलिन बस्ती–83 बजट | न0नि0 वाराणसी | मौ0 रूप्पनपुर, पैगम्बरपुर मौर्या में जवाहिर मौर्या के मकान से जंगली मौर्या के मकान तक, जंगली मौर्या के मकान से कलावती देवी के मकान तक, दिलीप राजभर के मकान से मकान नं0 सा0 20/51–जे–एम बबलू के मकान तक, कलावती देवी के मकान से माया देवी के मकान तक, माया देवी के मकान से सियाराम के मकान तक, सियाराम के मकान से मन्दिर तक, मन्दिर वाली गली, मन्दिर से मकान नं0 सा0 20/22–ए–10 तक, दशरथ मौर्या के मकान तक, दशरथ मौर्या के मकान से पप्पू मौर्या के मकान तक, पप्पू मौर्या के मकान से शिवजी मन्दिर तक, सियाराम के मकान से मुन्नू मौर्या के मकान तक एवं शिवजी मन्दिर से पुल्ली मौर्या के मकान तक जल निकासी एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 17.612 |
| | योग | | | | 244.28 |

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:–

1– उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2– स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3– प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4– अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नही की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5– स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

518/5

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

# राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

6– प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

7– परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख–रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

8– योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016–17 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

9– उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

10– प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

11– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यो में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्ति करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

12– **शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त परियोजनाओं में सेन्टेज के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि अभिकरण पर नही रोकी गयी है।**

भवदीय,

(बाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

**पत्रांक एवं दिनांक तदैव**
प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यकम अधिकारी, सूडा।।
3. अधि0 अभियन्ता–सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग–सूडा।

(बाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक